Result Mitra Daily Magazine

CAPF में महिलाओं की भागीदारी

➢ चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सोमवार (2 दिसंबर) को लोकसभा में बताया कि वर्ष 2014 से 2024 तक पिछले 10 वर्षों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF, Central Armed Police Force) में महिला कर्मियों की संख्या लगभग तीन गुना हो गई है।

➢ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) क्या है ?

- केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानि CAPF जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत सात अर्द्ध–सैनिक बलों को संदर्भित करता है।
- केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के अंतर्गत आने वाले सात अर्द्ध–सैनिक बल (Para Military Forces) है :– असम राइफल्स, सीमा सुरक्षा बल (BSF), भारत–तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP), सशस्त्र सीमा बल (SSB), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG)।
- केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत CAPF का प्रशासनिक नियंत्रण होता है लेकिन इसका परिचालन नियंत्रण केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत होता है।
- अर्द्ध–सैनिक बल की स्थापना 27 दिसंबर 1949 को की गई थी।

- वर्ष 2001 में केंद्र सरकार द्वारा अर्द्ध–सैनिक बलों के लिए एक मानक नामकरण अपनाते हुए एक आधिकारिक परिपत्र जारी किया गया, जिसके तहत सारे अर्द्ध–सैनिक बलों को सम्मिलित रूप से CAPF के नाम से जाना जाता है।
- CAPF भारत की आंतरिक सुरक्षा और सीमा सुरक्षा के लिए जिम्मेदार बल है।
- CAPF के अंतर्गत आने वाले सात अर्द्ध–सैनिक बलों को उनके कार्य के आधार पर तीन समूहों में विभाजित किया गया है-

1. सीमा सुरक्षा बल

- इस समूह के अंतर्गत असम राइफल्स (AR), सीमा सुरक्षा बल (BSF), भारत–तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) और सशस्त्र सीमा बल (SSB) को रखा गया है, जिनकी जिम्मेदारी भारतीय स्थल सीमा की सुरक्षा करना है।

2. विशेष कार्य बल

- राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) को विशेष कार्य बल समूह के अंतर्गत रखा गया है।

3. आंतरिक सुरक्षा बल

- आंतरिक सुरक्षा बल के अंतर्गत केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) को रखा गया है।

➢ सीमा सुरक्षा बल (BSF)

- BSF की स्थापना 1 दिसंबर 1965 ई. को की गई थी और यह वर्तमान में भारत–पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा की निगरानी का कार्य करता है।
- BSF विश्व की सबसे बड़ी सीमा रक्षक बल है, जिसकी लगभग 200 से अधिक बटालियन है।

➢ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF)

- CRPF की स्थापना 27 जुलाई 1939 को क्राउन प्रतिनिधि पुलिस बल के रूप में की गई थी।
- हालांकि 28 दिसंबर 1949 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम लागू होने के बाद यह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) बन गया।
- CRPF की प्रमुख जिम्मेदारी पुलिस कार्यवाही में राज्य/संघ शासित प्रदेशों की सहायता, कानून व्यवस्था एवं आतंकवाद विरोध में कार्य करना है।

➢ भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP)

- ITBP की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को भारत–तिब्बत सीमा की चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से रक्षा हेतु की गई।
- वर्तमान में ITBP भारत–नेपाल–चीन के सीमा पर 2115 km लंबी सीमा की रक्षा करता है।

➢ सशस्त्र सीमा बल (SSB)

- SSB की स्थापना 15 मार्च 1963 को विशेष सेवा ब्यूरो (Special Service Buerao) के रूप में की गई थी।
- सशस्त्र सीमा बल–2007 अधिनियम के बाद इसका नाम सशस्त्र सीमा बल (SSB) रखा गया।
- SSB को भारत–नेपाल सीमा के सुरक्षा के जिम्मेदारी दी गई है।

➢ असम राइफल्स (AR)

- भारत का सबसे पुराना अर्द्ध–सैनिक बल असम राइफल्स की स्थापना अंग्रेजों के द्वारा 1835 ई. में की गई थी।

➢ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF)

- CISF की स्थापना 10 मार्च 1969 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम–1968 के अंतर्गत की गई थी।

➢ राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG)

- राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम–1986 के अंतर्गत 22 सितम्बर 1986 को NSG की स्थापना की गई।

➢ वर्तमान में CAPF में महिलाओं की संख्या :

- वर्तमान में CAPF में महिला बलों की संख्या 9.48 लाख है, जो कुल CAPF बलों का 4.4% है।
- CAPF के अंतर्गत आने वाले CISF में महिलाओं का प्रतिनिधत्व सबसे अधिक है, जो हवाई अड्डों, दिल्ली मेट्रो, संसद परिसर और सरकारी इमारतों की सुरक्षा में लगे है।
- CISF में महिला बलों की संख्या लगभग 1.51 लाख है, जो CISF के कुल बलों का 7.02% है।

- CISF के अलावा अन्य बलों में महिला बलों का प्रतिनिधत्व SSB में 4.43%, BSI में 4.41%, ITBP में 4.05%, असम राइफल्स में 4.01% तथा CRPF में 3.38% है।
- वर्ष 2014 में CAPF में महिला बलों की संख्या 15499 थी, जो 2024 में बढ़कर 42,190 हो गई है।

➢ CAPF में महिलाओं की भर्ती के प्रयास अब तक कैसे बढ़े है ?

- वर्ष 2016 में केंद्र सरकार ने CRPF और CISF में सभी कांस्टेबल स्तर के पदों में से एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित करने का निर्णय लिया गया।
- इसके अलावा सीमा सुरक्षा बलों, BSF, SSB और ITBP महिलाओं के लिए आरक्षण 15% कर दिया गया।
- हालांकि CRPF अपनी भर्ती नीति में महिलाओं के आरक्षण संबंधी तालमेल बैठाने में असफल रही, जिसके कारण गृह मामलों के संसदीय समिति ने CAPF में महिलाओं की कम संख्या के लिए निराशा व्यक्त की।
- वर्ष 2022 तक CAPF में महिला बलों का प्रतिनिधित्व केवल 3.68 प्रतिशत था।

➢ CAPF में महिलाओं की संख्या बढ़ाने संबंधी समिति ने सरकार को क्या करने की सिफारिश की ?

- दिवंगत भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता में गठित CAPF में महिला की भागीदारी बढ़ाने वाली समिति ने CAPF में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने को कहा गया।
- इस समिति ने सुझाव दिया कि CAPF में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए चरण–वार भर्ती अभियान तेजी से चलाया जाना चाहिए।
- समिति में सुझाव दिया कि CISF और CRPF सहित सीमा सुरक्षा बलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए चौकियों पर अनुकूल माहौल बनाने के लिए कदम उठाना चाहिए ताकि महिलाएं सुरक्षा बलों में शामिल होने के लिए प्रेरित हो सकें।
- 2022 में राज्यसभा में पेश की गई इस रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि रक्षा मंत्रालय को महिलाओं को CAPF में शामिल होने से रोकने वाले कारकों की पहचान करके उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए व्यावहारिक समाधान निकालने का प्रयास करना चाहिए।
- वर्ष 2023 में मामले में एक अन्य समिति कार्मिक लोक शिकायत, कानून और न्याय पर स्थायी समिति ने महिलाओं को CAPF में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए "सॉफ्ट पोस्टिंग" का सुझाव दिया गया था।

- इस समिति द्वारा 3 अगस्त 2023 में राज्यसभा में सौंपी रिपोर्ट में कहा गया कि महिलाओं को सेना में शामिल होने से रोकने वाली एक सबसे बड़ी बाधा कठिन इलाके और परिस्थितियां है, जहां उन्हें काम करना पड़ सकता है। इसलिए महिला कर्मियों को सॉफ्ट पोस्टिंग दी जाए और उन्हें कठिन कामकाजी परिस्थितियों में ना रखा जाए।
- फरवरी 2024 में राज्य गृहमंत्री नित्यानंद राय ने एक लिखित उत्तर में लोकसभा में बताया कि सरकार द्वारा महिलाओं को CAPF में शामिल होने के लिए पुरुष उम्मीदवार की तुलना में आवेदन शुल्क में छूट तथा शारीरिक मानक परीक्षण (PST) और शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) में छूट संबंधी प्रावधान किए गए हैं।
- इसके अलावा महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश और बाल देखभाल अवकाश जैसी केंद्र सरकार की सुविधाएं CAPF में पहले से ही लागू है।
- CAPF द्वारा महिला बलों को क्रैच और डे केयर सेंटर प्रदान किए गए हैं एवं यौन उत्पीड़न की जांच के लिए सभी स्तरों पर समितियों का गठन किया गया है ताकि महिला कर्मियों की शिकायतों का त्वरित निस्तारण हो सके।
- इसके अलावा CAPF में महिला बलों को उनके पुरुष समकक्षों के समान बराबर अवसर दिया गया है।